फर्द अहकाम

राम नारायण बनाम नवरत०

म न्यायालय उप० II सांगानेर

त संख्या 157/2024

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	24/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 20 व 23 उप०। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रा०पत्र धारा 212 RTA स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर (सुनाया गया) पत्रावली नम्बर से खारिज बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सुनाया गया) उप-खण्ड अधिकारी, जयपुर (द्वितीय)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 157/2024
निर्णय दिनांकः 24.02.2025

उनवान

1. रामनारायण पुत्र स्व. श्री रामेश्वर, उम्र–53 वर्ष,
2. मोहनलाल पुत्र स्व. श्री रामेश्वर, उम्र 51 वर्ष,
3. जयनारायण पुत्र स्व. श्री रामेश्वर, उम्र–46 वर्ष,
4. छोटूलाल पुत्र स्व. श्री रामेश्वर, उम्र 37 वर्ष,
5. कन्हैयालाल पुत्र स्व. श्री रामेश्वर, उम्र 35 वर्ष,
6. श्रीमती दयाल देवी पत्नी स्व. श्री रामेश्वर, उम्र–70 वर्ष,

समस्त जाति–रैगर, निवासी–ग्राम केशोपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राज. ।
श्रीमती मंजू देवी पुत्री स्व. श्री रामेश्वर पत्नी श्री हीरालाल, उम्र–40 वर्ष, निवासी–मकान नम्बर–2, सुन्दर नगर, गॉधी बस्ती, सिरसी, वार्ड नम्बर–49, तहसील व जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. नवरतन पुत्र स्व. श्री जगदीश,
2. रामजीलाल पुत्र स्व. जगदीश,
3. श्रीमती शान्ति देवी पत्नी स्व. जगदीश,
   समस्त निवासी–ग्राम केशोपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
4. श्रीमती सुशीला पुत्री स्व. जगदीश पत्नी श्री राजेश बारोललिया, निवासी–ग्राम लबाना, तहसील आमेर, जिला जयपुर राज.।
5. श्रीमती शकुन्तला पुत्री स्व. श्री जगदीश पत्नी श्री राकेश, निवासी–ग्राम साईवाड, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर राज.।
6. अशोक पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र,
7. विक्रम पुत्र स्व. श्री रामचन्द्र,
8. श्रीमती नाथी पत्नी स्व. श्री रामचन्द्र,
   निवासी–ग्राम केशोपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राज.।
9. श्रीमती संतोष पुत्री स्व. श्री रामचन्द्र पत्नी खेमचन्द, निवासी–ग्राम नीदंड़, तहसील आमेर, जिला जयपुर राज.।
10. श्रीमती मीनाक्षी पुत्री स्व. श्री रामचन्द्र पत्नी मुकेश पिंगोलिया, निवासी–ग्राम डिग्गी, तहसील व जिला मालपुरा राज.।
11. रामधन पुत्र स्व. श्री कजोड़,
12. श्रीमती रतनी देवी पत्नी रामधन,
    निवासी–ग्राम केशोपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राज.।
13. छीतर पुत्र श्रीमती रूपा देवी एवं मन्नाराम,
14. कानाराम पुत्र स्व. श्री प्रभु,
15. रूपनारायण पुत्र स्व. श्री प्रभु,
16. शंकर पुत्र स्व. प्रभु,
17. लक्ष्मण पुत्र स्व. श्री प्रभु,
    समस्त निवासी–ग्राम गीनावाला, सिरसी रोड़, जयपुर, तहसील व जिला जयपुर राज. ।
18. कपिल मुनि पुत्र स्व. इन्द्रसहाय,
19. जगदीश पुत्र स्व. इन्द्रसहाय,

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

20. प्यारे मोहन पुत्र स्व. इन्द्रसहाय,
21. राधेश्याम पुत्र स्व. इन्द्रसहाय,
22. रामजीलाल पुत्र स्व. इन्द्रसहाय,
23. सत्यप्रकाश पुत्र स्व. इन्द्रसहाय,
24. श्रीमती गैंदी देवी पत्नी स्व. इन्द्रसहाय,
25. श्रीमती देवी पुत्री स्व. इन्द्रसहाय,
26. मदन पुत्र रूपा,
समस्त जाति–ब्राह्मण, निवासी–ग्राम केशोपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राज.।
27. तहसीलदार तहसील कार्यालय सांगानेर, जिला जयपुर राज.

अप्रार्थीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–212 व दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 के तहत प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–212 व दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 के तहत प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बँटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का सुदृढ़ तथ्यों पर प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थीगण को सफलता की पूर्ण आशा है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या–1 लगायत 17 आपस में कुटुम्बी सदस्य है तथा अप्रार्थी संख्या–18 लगायत 26 आपस में पारिवारिक सदस्य है तथा प्रार्थीगण के ग्राम के ही निवासी व काश्तकार व्यक्ति है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या–1 लगायत 11 के संयुक्त स्वामित्व व खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम भांकरोटाकलां, पटवार हल्का भांकरोटाकलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के खाता संख्या–596 (नया) 176 (पुराना) में के खसरा नम्बरान 418 रकबा 0.0200 है0, 419 रकबा 1.1500 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1700 है0 है। प्रार्थीगण की एक अन्य खातेदारी कृषि भूमि जो अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 11 के साथ–साथ अप्रार्थी संख्या–12 लगायत 26 के साथ संयुक्त स्वामित्व खातेदारी की ग्राम केशोपुरा, पटवार हल्का मांग्यावास, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या–65 (नया) 199 (पुराना) के खसरा नम्बर 178 रकबा 0.7900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 179 रकबा 0.3100 हैक्टेयर कुल किता 2, कुल रकबा 1.1000 हैक्टेयर है। प्रार्थना–पत्र के चरण संख्या–3 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1, 2, 6 लगायत 10, 11 तथा 13 लगायत 17 के संयुक्त स्वामित्व व खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है जिसमें वर्तमान राजस्व अभिलेखों अर्थात् हक अधिकार अभिलेख, जमाबंदी में प्रार्थीगण संख्या–1 लगायत 5 व 7 के पिता तथा प्रार्थी संख्या 6 के पति स्व. श्री रामेश्वर पुत्र चून्या का हिस्सा 5/12 भाग अप्रार्थी संख्या–1 व 2 का हिस्सा क्रमशः 5/72–5/72 भाग प्रत्येक का, अप्रार्थी संख्या–6 लगायत 10 के पूर्व पुरुष स्वर्गीय रामचन्द्र पुत्र स्व. कजोड़ का हिस्सा 5/72 भाग, अप्रार्थी संख्या–11 का हिस्सा 5/36 भाग तथा अप्रार्थी संख्या–13 लगायत 17 की पूर्वजा श्रीमती रूपा पत्नी मनाराम पुत्री स्व. श्री चून्या का हिस्सा 1/6 भाग दर्ज इन्द्राज है। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र के चरण संख्या–4 में वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 5, 8 तथा 14 लगायत 26 के संयुक्त स्वामित्व व खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थीगण संख्या–1 लगायत 5 व 7 का हिस्सा क्रमशः 51/5152–51/5152 भाग प्रत्येक का तथा प्रार्थी संख्या–6 का हिस्सा 1269/5152 भाग, अप्रार्थी संख्या–1, 2, 4 व 5 का हिस्सा क्रमशः 51/3680–51/3680 भाग प्रत्येक का तथा अप्रार्थी संख्या–3

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ीमती शांति देवी पत्नी जगदीश का हिस्सा 243/1840 भाग, अप्रार्थी संख्या–8 का हिस्सा 87/1472 ाग, अप्रार्थी संख्या–11 लगायत 25 का हिस्सा 1/64–1/64 भाग प्रत्येक का तथा अप्रार्थी संख्या–27 का हिस्सा 1/8 भाग दर्ज इन्द्राज है। मौके पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र के उक्त चरण संख्या–3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि में उपरोक्तानुसार दर्शाये हक हिस्से के अनुसार आपस में वाहामी बँटवारा कर पूर्व में बनी सहमती के मुताबिक अपने–अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहते हुये भूमि का उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। चरण संख्या–3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि का पक्षकारों में विधि अनुसार बँटवारा आज तक नही हुआ है और राजस्व अभिलेखों में भी पक्षकारों का उपरोक्त अनुसार दर्शाये हक हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से अर्थात् अविभाजित ही कृषि भूमि की खातेदारी दर्ज इन्द्राज है। प्रार्थना पत्र के उपरोक्त चरण संख्या–3 व 4 में वर्णित कृषि का विधिक बँटवारा नही होने से प्रत्येक पक्षकार का राजस्व अभिलेखों में दर्शाये हक हिस्से अनुसार प्रत्येक खसरा नम्बर के भू–भाग पर अर्थात् इंच–दर–इंच भू–भाग पर समान कब्जा काश्त है। बिना विधिक बँटवारे के भूमि के किसी विनिर्दिष्ट भाग पर कोई भी पक्षकार अपने स्वतंत्र व अलहदा हिस्से का परस्पर एक दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध क्लेम नही कर सकते है जिस कारण पक्षकार उपरोक्त वर्णित अपने हक हिस्से की कृषि भूमि के किसी विनिर्दिष्ट भू–भाग को विकसित करने, सिंचाई के साधन जुटाने, पशुओं के बाडा बनाने तथा स्वयं के अधिवास के लिये मकान निर्मित कराने से विधिक रूप से प्रवारित अथवा प्रतिबंधित है। अविभाजित कृषि भूमि की इन्हीं बाधताओं के चलते पक्षकारों के मध्य सिंचाई के लिये स्थान विशेष पर ट्यूबवेल लगवाने, पशु का बाडा बनाने तथा अपने हक हिस्से की भूमि को सुरक्षित करने के लिये पुख्ता पक्की चार दीवारी बनाने को लेकर आये दिन झगड़े आदि होते है, जिससे पक्षकारों में आपस में काफी अदावत रहती है तथा वे उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में अपने खातेदारी भूमि का विधिक बँटवारा नही होने से समुचित व शांतिपूर्ण उपयोग–उपभोग नही कर पा रहे है। दिनांक 07.06.2024 को अप्रार्थी संख्या–1 व 2 बिना विधिक बँटवारे के अर्थात् पक्षकारों में आपस में चले आ रहे वहामी बँटवारे के मुताबिक मनमाने स्थान की भूमि को रोककर सुरक्षित करने के लिहाज से भूमि के चारों ओर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण सामग्री एकत्रित करके कारीगर व बेलदारों की मदद से करवाया जा रहा था जिसको प्रार्थीगण ने यह कहकर रोकने की कोशिश की कि जब तक भूमि का सहखातेदारों में विधिक बँटवारा नही हो जाता तब तक आप किसी विनिर्दिष्ट भू–भाग पर किसी तरह का कोई निर्माण कार्य नही कर सकते है। उक्त कथन पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उग्र हो गये तथा प्रार्थीगण व उनके परिवारवालों के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गये तथा प्रार्थीगण को धमकियां दी कि वह वांछित स्थान पर अपने हिस्से की भूमि का डिमार्केशन कर उसको सुरक्षित करने के लिये चारों ओर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण कार्य करके रहेगें तथा निकट भविष्य में हमारे हिस्से की कृषि भूमि के बेचान बाबत् ग्राहक लगे हुये है, इसलिए हम मौके पर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल बनाकर उसको सुरक्षित करते हुये पंजिकृत विक्रय विलेख के बेचान कर देगें। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के साथ–साथ अप्रार्थी संख्या–3 लगायत 26 भी बिना किसी विधिक बँटवारे के मनमाने तरीके से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के देखादेखी अपने हक व हिस्से के मुताबिक कृषि भूमि पर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल करवाने पर आमादा है। विधि अनुसार अप्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही है कि वे बिना विधिक बँटवारा करवाये संयुक्त स्वामित्व व खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि के किसी विनिर्दिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य कर प्रार्थीगण के अधिकारों को क्षति कारित करें। लेकिन अप्रार्थीगण बहुसंख्यक है तथा आपस में मिले हुये है और साथ ही साथ लड़ाकू प्रवृति के व्यक्ति

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

है जिनका सामना व विरोध करने में प्रार्थीगण बिना न्यायालय की सहायता के असमर्थ है। इसलिए अप्रार्थीगण को उनके द्वारा किये जा रहे गैर विधिक कृत्य को रोके जाने वावत् श्रीमान् न्यायालय के समक्ष यह वाद पत्र मय अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण का नाम प्रार्थना पत्र के चरण संख्या–3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि में वतौर सहखातेदार, काश्तकार के रूप में दर्ज इन्द्राज है और उसमें वर्णित कृषि भूमि अविभाजित कृषि भूमि है, ऐसी स्थिति में वॅटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा के संवंध में प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या–3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि में सहखातेदार है जो संयुक्त स्वामित्व की अविभाजित कृषि भूमि है। विधिनुसार बिना मिट्स एण्ड वाउण्ड्स वॅटवारे के प्रत्येक सहखातेदार का इंच–दर–इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है, लेकिन अप्रार्थीगण विधि विरूद्ध तरीके से उपरोक्त मद संख्या–3 व 4 में वर्णित कृषि भूमि में विनिर्दिष्ट भू–भाग पर मनमाने तरीके से वाउण्ड्रीवाल कराने पर आमादा है और सहखातेदारो का राजस्व अभिलेखों में दर्शाये अनुसार हक हिस्से की भूमि की मौके पर नाप होकर प्रत्येक हिस्सेदार का हिस्सा स्पष्ट नही हो जाता है तव तक अप्रार्थी विशेष मनमाने तरीके से भूमि पर पुख्ता वाउण्ड्रीवाल बनाने से विधितः प्रतिवंधित है, यदि अप्रार्थीगण विधि विरूद्ध तरीके से निर्माण करने में सफल हो जाते है तो पक्षकारों के हिस्से को लेकर कमी व अधिकता का प्रश्न उत्पन्न होगा। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण की अपेक्षा प्रार्थीगण को ऐसी क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति धन अथवा अन्य किसी प्रकार से किया जाना संभव नही होगा। ऐसी स्थिति में अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष है। यह कि अप्रार्थीगण मनमाने तरीके से पुख्ता वाउण्ड्रीवाल विना हिस्से की मौके पर नाप निकलवाये करने में सफल हो जाते है तो अप्रार्थीगण की अपेक्षा प्रार्थीगण को काफी असुविधा होगी तथा उनके साथ अन्याय होने की संभावना बढ जावेगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा व्यादेश की आज्ञाप्ति से पावंद फरमाया जावे कि अप्रार्थीगण संख्या–1 लगायत 26 प्रार्थना पत्र के चरण संख्या–3 व 4 में वर्णित अविभाजित कृषि भूमि का जव तक मिट्स एण्ड वाउण्ड्स के आधार पर पक्षकारों में वॅटवारा नहीं हो जाता है तब तक वह वादग्रस्त भूमि की स्थिति को यथावत बनाये रखे तथा जो पूर्व से वहामी वॅटवारे के अनुसार चले आ रहे प्रार्थीगण के कब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नही करें, किसी तरह का पक्का निर्माण नही करें, दीगर व्यक्ति को बेचान, बय आदि कर अन्य तरीके से अंतरण कर कब्जा स्थानान्तरित नही करें न ही भूमि की वास्तविक स्थिति में किसी तरीके का परिवर्तन व परिवर्धन आदि करें तथा भूमि की आज की स्थिति को यथावत कायम करें और ऐसा ना तो स्वयं करें ना ही अपने एजेंट, सर्वेट इत्यादि से करावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 20 व 23 उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 19 व 21, 22, 24 लगायत 26 बावजूद डॉक रजिस्टरर्ड तामिल सूचना अनुपस्थित। दिनांक 10.09.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 व 19 व 21, 22, 24 लगायत 26 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाने के आदेश दिये। दिनांक 08.10.2024 को अप्रार्थी संख्या 20 व 23 द्वारा जवाव प्रस्तुत नही करने पर जवाव वन्द किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

बहस प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश की आज्ञाप्ति से पावद फरमाया जावे कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या–1 लगायत 11 के संयुक्त स्वामित्व व खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम भांकरोटाकलां, पटवार हल्का भांकरोटाकलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के खाता संख्या–596 (नया) 176 (पुराना) मे के खसरा नम्बरान 418 रकबा 0.0200 है0, 419 रकबा 1.1500 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1700 है0 व प्रार्थीगण की एक अन्य खातेदारी कृषि भूमि जो अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 11 के साथ–साथ अप्रार्थी संख्या–12 लगायत 26 के साथ संयुक्त स्वामित्व खातेदारी की ग्राम केशोपुरा, पटवार हल्का मांग्यावास, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या–65 (नया) 199 (पुराना) के खसरा नम्बर 178 रकबा 0.7900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 179 रकबा 0.3100 हैक्टेयर कुल किता 2, कुल रकबा 1.1000 हैक्टेयर अविभाजित कृषि भूमि का जब तक मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर पक्षकारों में बँटवारा नहीं हो जाता है तब तक वह वादग्रस्त भूमि की स्थिति को यथावत बनाये रखे तथा जो पूर्व से वहामी बँटवारे के अनुसार चले आ रहे प्रार्थीगण के कब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नही करें, किसी तरह का पक्का निर्माण नही करें, दीगर व्यक्ति को बेचान, बय आदि कर अन्य तरीके से अंतरण कर कब्जा स्थानान्तरित नही करें न ही भूमि की वास्तविक स्थिति में किसी तरीके का परिवर्तन व परिवर्धन आदि करें तथा भूमि की आज की स्थिति को यथावत कायम करें और ऐसा ना तो स्वयं करें ना ही अपने एजेंट, सर्वेट इत्यादि से करावें।

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 26 के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराया गया। उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न तीन बिन्दू विचारणीय है:– (1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का संतुलन (3) अपूरणीय क्षति

(1) प्रथम दृष्टया मामला

वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 26 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 26 की अविभाजित संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका आज तक कोई विधिवत विभाजन नही हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमावन्दी प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 26 की संयुक्त खातेदारी दर्ज है, वादग्रस्त आराजी का विधिवत तकासमा आज दिनांक तक नही हुआ है एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये हक हिस्से के अनुसार आप में वाहामी बँटवारा कर पूर्व में बनी सहमी के मुताबिक अपने–अपने हिस्से अनुसार काब्जा काश्त रहते हुए भूमि का उपयोग–उपभोग करते आ रहें है तथा राजस्व अभिलेखों में भी पक्षकारों का उपरोक्त अनुसार दर्शाये हक हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से अर्थात अविभाजित ही कृषि भूमि की खातेदारी दर्ज इन्द्राज है। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहे है, इसलिए उक्त बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

(2) सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उक्त दोनों बिन्दूओं का सुविधा की दृष्टि से निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 26 की संयुक्त खातेदारी दर्ज है, बिना विधिवत विभाजन करवाये किसी भी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार द्वारा विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य कर लिया गया या विशिष्ट भू–भाग का विक्रय कर दिया गया तो वाद की बहुलता बढेगी एवं प्रार्थीगण को ही अधिक असुविधा होगी तथा अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को होगी। उक्त तीनों बिन्दू प्रार्थीगण सावित करने में सफल रहे है इसलिए उनके पक्ष में तय किये गये है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–212 व दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 के तहत प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–212 व दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 के तहत प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर दिनांक 11.06.2024 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को पावन्द किया जाता है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या–1 लगायत 11 के संयुक्त स्वामित्व व खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम भांकरोटाकलां, पटवार हल्का भांकरोटाकलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के खाता संख्या–596 (नया) 176 (पुराना) में के खसरा नम्बरान 418 रकबा 0.0200 है0, 419 रकबा 1.1500 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1700 है0 व प्रार्थीगण की एक अन्य खातेदारी कृषि भूमि जो अप्रार्थी संख्या–1 लगायत 11 के साथ–साथ अप्रार्थी संख्या–12 लगायत 26 के साथ संयुक्त स्वामित्व खातेदारी की ग्राम केशोपुरा, पटवार हल्का मांग्यावास, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या–65 (नया) 199 (पुराना) के खसरा नम्बर 178 रकबा 0.7900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 179 रकबा 0.3100 हैक्टेयर कुल किता 2, कुल रकबा 1.1000 हैक्टेयर में जब तक मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर पक्षकारों में बँटवारा नहीं हो जाता है तब तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पूर्व से बहागी बँटवारे के अनुसार चले आ रहे प्रार्थीगण के कब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नही करें, किसी तरह का पक्का निर्माण नही करें, दीगर व्यक्ति को बेचान, बय आदि कर अन्य तरीके से अंतरण कर कब्जा स्थानान्तरित नही करें। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर